कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 08 श्रावण, शक संवत् 1946
(30 जुलाई, 2024 ई0)

खण्ड-526
अंक-02

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-05 के मध्य पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

तदुपरान्त तारांकित प्रश्न संख्या-09 के अनुपूरक के मध्य अपराह्न 12 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तत्पश्चात् वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित मा0 सदस्यों को आज उनके जन्म-दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी :-

1-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी,

2-श्री राकेश प्रताप सिंह।

आज दिनांक 30 जुलाई, 2024 को नियम-301 अन्तर्गत 92 सूचनाएं प्राप्त हुईं निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

क्र0-सं0	नाम	विषय
1	श्री कविन्द्र चौधरी	प्रदेश में 108 व 102 एम्बुलेंस में कार्यरत कर्मचारियों के लम्बित ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में।
2	श्रीमती सैय्यदा खातून	जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बढ़नी में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री हरि प्रकाश वर्मा	जन-सुनवाई पोर्टल पर आई0 जी0 आर0 एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न कराए जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
4	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद सहारनपुर के ग्राम कल्लरपुर पर बने पुल की टी0 ए0 सी0 जांच कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री रवि शर्मा	जनपद झांसी महानगर के विद्यमान विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।
6	श्री रमाशंकर सिंह	जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती राजबाला सिंह	जनपद रामपुर में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी द्वारा योजना में किए गए पौधारोपण के स्थान की सूचना न दिए जाने के सम्बन्ध में।
8	डॉ0 आर0 के0 पटेल	जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर में 132 केवी का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री कमाल अख्तर	ग्राम कुमारिया जुगला में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
10	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या के स्मारक इण्टर कॉलेज खजुरहट के कतिपय अध्यापक व प्रधानाचार्य द्वारा अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में।
11	श्री रफीक अंसारी	जनपद मेरठ में हापुड़ रोड पर कूड़ा डिपो तथा नसबन्दी केन्द्र नियम विरुद्ध बनाए जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री नफीस अहमद	जनपद आजमगढ़ के धुरिया जाति के लोगों का राजस्व अभिलेखों में नाम सही कराए जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री अतुल प्रधान	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में सड़क चौड़ीकरण, नव निर्माण एवं मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में।
14	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के लालगंज के अन्तर्गत 132/33 के0वी0ए0 उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	नाम	विषय
15	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया	जनपद बदायूं के दातागंज के ग्राम सेजनी में कतिपय उपकेन्द्र को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर तारों को सही कराए जाने के सम्बन्ध में।
17	डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय में डाक्टरों की व्यवस्था कराए जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ग्राम सभा जीरिकपुर में सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री मो0 ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के भड़रा में उपकेन्द्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्री जियाउद्दीन रिजवी	जनपद बलिया में पुलिस के खराब कार्य व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
22	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह	जनपद प्रयागराज के पश्चिमी शहर में राजकीय डिग्री कालेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 05 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसे अग्राह्य करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के क्लिष्ट शब्दों को आसान करते हुए संशोधित नियमावली, 2023 जारी की गयी है। उन्होंने सदस्यगण से निवेदन किया कि नियम और नियमावली पढ़ कर ही नियम-300 के अन्तर्गत सूचना दें।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो कृषि, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का बीसवां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, याचिका समिति ने उत्तर प्रदेश 18वीं विधान सभा की ''याचिका समिति'' (2022-23) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम जेडा नहर पुल से गांव की साइड पटरी होकर जेडा झाल पुल तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर के अन्तर्गत कानपुर नगर रजिस्ट्री आफिस में बुजुर्गों के लिए लिफ्ट को लगाये जाने के सम्बन्ध में हाजी जियाउलहक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम कचोरा सड़क से नाले की पटरी पर अछनेरा-झुण्डावई मार्ग को पक्का बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुमरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल की तहसील चंदौसी के ग्राम फिरोजपुर बौड़ा में विश्वास कुमार के मकान से कब्रिस्तान तक लगभग 200 मीटर सड़क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में मौ0 तालिब व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत महमदपुर, मदारपुर, मानपुर, काहोतरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री संग्राम यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत पानी की टंकी से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के अन्तर्गत ग्राम बोझी में रामगंगा नदी में पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर की ग्राम पंचायत-मरौंचा में हाई-वे से पूरे लाला प्राथमिक पाठशाला तक इण्टरलॉकिंग 500 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नकछेद दुबे व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज महराजगंज ग्रन्ट छपिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के बामौर ब्लाक में गड़वई से ककरवई होते हुए गरौठा की ओर सड़क मार्ग एवं देवरी से धनौरा होते हुए ककरवई तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील कोंच के अन्तर्गत नदीगाँव के आस-पास 220 के0वी0 के बिजलीघर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ रत्नाकर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत अछल्दा-महेवा मार्ग से गऊ तला तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा रियल टाइम खतौनी में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में श्री निरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निबैया के भारतीया बस्ती में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज भारतीया व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के नवनिर्मित भवन जिला अस्पताल में जाँच सम्बन्धी यंत्र एम0आर0आई0 मशीन, सीटी स्कैन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लिली मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी व चित्रकूट को जोड़ने हेतु नदी पर पीपा पुल के स्थान पर स्थायी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकरन व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा मार्ग पर लोक भवन, बापू भवन आदि भवनों के सामने सीवर लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र-144, मोहम्मदी के तहसील-मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के ब्लॉक सदर के ग्राम धुसवा में गेलापार चौराहे से धुसवा गांव तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिद रजा, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के नेशनल हाई-वे बाँदा रोड भरतकूप के दोनों तरफ नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के विकास खण्ड मसोधा के अन्तर्गत ग्राम पलिया रिसाली से हनुमंत नगर भरतकुण्ड तक मार्ग के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तारों को बदवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहतास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड कड़ा में टेंगाई मुख्य मार्ग से गिरधरपुर गाँव के समीप तक सड़क निर्माण लगभग 2.5 किमी0 बनवाये

जाने के सम्बन्ध में श्री लवलेश विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत चांगौली मोड़ से वाया आजमपुर, हुसैनपुर, ठसराना की सीमा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत दोलतपुर से बुगरासी तक वाया गेसुपुर लम्बाई 10 किमी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के कतिपय ग्रामों में जलमग्न भूमि को फसल की पैदावार योग्य बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ धीमान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में पड़ियापुर-सम्हों मार्ग से मुसीकापुर तक बम्बा की पटरी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में ग्राम दरियापुर पिच रोड से पल्थी नहर पिच रोड तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारिक व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर के सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र मेन हाई-वे से अमोध-सतहरिया सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम मूरत यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत वाराणसी-आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग से ग्राम उसरौली में श्री राजेन्द्र कुमार के घर के बगल से होते हुए ग्राम बरवां विसम्भरपुर में श्री शिवकुमार यादव के घर तक के जर्जर मार्ग पर पक्की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सभा करण्डा में रामलीला मंच से लाल जी गुप्ता के मकान के सामने से होते हुए पोखरी तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदित्य यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा की तहसील चरखारी एवं तहसील कुलपहाड़ के चकबन्दी विहीन ग्रामों में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा डीहा, लवायन व कतिपय ग्राम सभाओं में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धननीश प्रताप सिंह, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम धनौरा के मुख्य मार्ग दीवान साहब के बगीचा से बब्बू मास्टर के स्कूल तक गौशाला होते हुए मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमजी परिहार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरसेली के मजरा के ग्राम हरपरा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा भगवानपुर खुर्द से नहर की पुलिया होते हुए पिपरही मोड़ तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के अन्तर्गत रिलायन्स पेट्रोल पम्प से बिजनंगला पर शहीद स्मारक के पास से शिव मन्दिर तक खड़न्जे पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में हर घर जल योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के मार्गों पर पाइप लाइन डालने के नाम पर क्षतिग्रस्त सड़कों को सी0सी0/पी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधे श्याम व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर की सेमरी बाजार पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-39 के अन्तर्गत सुलभ शौचालय से माँ आटा चक्की की ओर होते हुए नाले की पुलिया तक सड़क मार्ग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोंटी साहू व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या में माझा तिहुरा परगना हवेली अवध, तहसील सदर की गाटा संख्या-1099, 3/2अ एवं 4ई/5 पर अभिनन्दन लोढ़ा कम्पनी के द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री रामरूप व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र-216, छावनी के अन्तर्गत कानपुर महानगर के वार्ड सं0-36 मुर्गा मार्केट से लेकर बेदू शर्मा के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अयान खान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279 आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम हथिनाला में संजय गौतम के मकान से पूरब रामप्रीत के मकान होते हुए महिमापुर सम्पर्क मार्ग तक (1.5 किमी0) नव निर्माण/पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के ब्लाक व तहसील हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम घुंघराला में प्रमोद के मकान से रहीस के मकान तक 600 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियमताबाद के ग्राम सभा चन्दाईत में चकिया बबुरी लिंक मार्ग से मुरार पटेल के मकान से होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग/सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अम्बृश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संग्राम यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के ग्राम पंचायत पिपराकलां में चौरी माइनर पर शिव यादव के खेत के सामने पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर से कुढ़ा रामपुर होते हुए विश्व बैंक सड़क कुढ़ा तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम जी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम मल्थुवा में कैलाश नारायण की जगह पर नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश नारायण व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया में ग्राम खालसा पक्की सड़क पर भोला के घर से होते हुए पूरेदगी में विक्रम प्रजापति के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत गौरीबाजार-हाटा मार्ग से पाण्डेय भिस्वां होते हुए रैश्री चौराहे तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री स्वामी ओउ़मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ग्राम माहू से ग्राम जलीलपुर सलेमपुर रोड तक डामर सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के ग्राम राघौपुर में राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीना राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में अर्मापुर नहर पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुशील कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद में नलकूप खण्ड के वरिष्ठ सहायक व अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नलकूप खण्ड में व्यापक रूप से की गई वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में बन्द पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में श्री सुहैल इकबाल व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

इसी मध्य श्री मनोज कुमार पारस ने कहा कि पहले सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी याचिकाएँ ले ली जाती थीं, फिर पाँच की व्यवस्था कर दी गयी। अब केवल एक ही ली जाती है। उन्होंने याचिका को सदन में पढ़ने का मौका दिये जाने का पीठ से अनुरोध किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि समितियों की अपनी सीमा होती है और अपना समय निर्धारित होता है। समिति याचिकाओं की मानीटरिंग करती है और उनको पूरा करने के लिए आदेश देती है। अगर कोई माननीय सदस्य अपनी याचिका को पढ़ना चाहता है, तो उसे याचिका पढ़ने का मौका दे देंगे। कल से कार्य-सूची में याचिकाएं आखिरी में ली जाएंगी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत अपनी बात कहने का प्रयास करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि आपने कोई सूचना नहीं दी है। यदि आप द्वारा कल सूचना दी जाती है, तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज, तहसील हरैया के अन्तर्गत दुबौलिया ब्लाक में महराजगंज-दुबौलिया मार्ग पैंडा घाट से नागवीर गांव तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत ग्राम असन्दरा कोठी मार्ग से टिकारिया चांद सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अर्चना यादव प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा में घाघरा नदी पर बनी एल्गिन ब्रिज चरसड़ी तटबन्ध को पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण लाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के मेरठ सेंट्रल बैंक कालोनी के रास्ते पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबर रिजवी, निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लॉक रमिया बेहड़ में अभयपुर प्राथमिक विद्यालय से बीरबाबा पुलिया तक खड़न्जे का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के बिरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिवंश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कासगंज के अन्तर्गत अमांपुर में देवीनगर मार्ग से ग्राम अल्लीपुर तक आबादी भाग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा, ग्राम परेहटा में चन्द्रावल नदी पर रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 जुलाई, 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 30 जुलाई, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024
2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024
3-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024
4-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024
5-उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

2-दिनांक 31 जुलाई, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
2-उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024
3-उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

औद्योगिक विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित किया।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित किया।

श्रम मंत्री ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

श्रम मंत्री ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

जनपद-लखनऊ के अकबर नगर में मकानों व दुकानों को नियम विरुद्ध ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि शहर की अकबर नगर बस्ती में बच्चे व महिलाएं चीखती, चिल्लाती रहीं, लेकिन सरकार ने मकानों और दुकानों के साथ मस्जिद व मंदिरों का ध्वस्तीकरण कर दिया। बेघर लोगों को बसंतकुंज कालोनी में मकान दिये जा रहे हैं, जिसमें व्यवस्थाओं का अभाव है। मकान के एवज में पैसों की मांग की जा रही है। अबरारनगर, रहीमनगर, पंतनगर जो कि वैध कालोनियाँ हैं, को तोड़ने की नोटिस दी गयी है। लोगों के आन्दोलन के बाद अभी कार्यवाही स्थगित है। उन्होंने अकबरनगर के बेघर लोगों को व्यवस्थित करने के साथ ही विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस चर्चा कराने की मांग की। श्री कमाल अख्तर ने इस पर बल दिया है।

इसी मध्य 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

इसी मध्य श्री नासिर कुरैशी ने मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे बसे पुराने शहर के वासिंदों को सिंचाई विभाग से नोटिस मिलने की बात कहते हुए उन्होंने प्रकरण की जांच कराने तथा आवास वैध होने की दशा में कार्यवाही को रोके जाने का पीठ से अनुरोध किया। इस पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि अगले दिन लिख कर दीजिएगा।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित अवैध निर्माण की स्क्रूटनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है। कुकरैल कभी नदी हुआ करती थी, जो अब नाले में बदल गयी है। वहाँ लोग अवैध निर्माण किए हुए थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गयी है। विस्थापितों को बसन्तकुँज आवास योजना में

पूरी तरीके से आबाद कर दिया गया है। मन्दिर की मूर्तियाँ पूरे सम्मान के साथ दूसरे मन्दिर में शिफ्ट कर दी गयी हैं। सरकार इस मामले में पूरी तरीके से संवेदनशील है और किसी के साथ कोई ज्यादती या किसी प्रकार से अवैधानिक कार्यवाही नहीं होगी।

प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए डा0 संग्राम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार कानून का राज जंगल राज में तब्दील हो रहा है। हाल ही की कुछ घटनाओं ने जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था तार-तार हो गयी है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के संरक्षण में अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश के अन्दर अपना पाँव पसार रहा है। उन्होंने विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री प्रदीप कुमार यादव ने इस पर बल दिया।

तत्पश्चात् श्रीमती विजमा यादव ने व्यक्तिगत प्रकरण को उठाते हुए कहा कि सिविल लाइन प्रयागराज में ए0के0 47 से उनके पति के साथ और तीन लोगों की हत्या हुयी तथा दो लोग घायल हुए। 18 साल बाद न्याय मिला, लेकिन आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदियों को बरी किया जा रहा है। ऐसे में वह भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने पीठ से न्याय दिलाने की मांग की।

इस पर संसदीय कार्य-मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि आम आदमी इस सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अपराधी को सजा दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शस्त्र अधिनियम में 15701 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एन0डी0पी0एस0 में 4276 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिकार्ड बताते हैं कि आज तक किसी भी सरकार में इतने गैंगेस्टर नहीं लगे होंगे। अपराध के आंकड़ों में भी कमी आयी है और सजा में तो रिकॉर्ड कायम हुआ है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति पर पूरी शिद्दत से काम कर रही है, इसीलिए क्राइम का ग्राफ गिरा है।

श्रीमती विजमा यादव द्वारा उठाए गये प्रकरण में नेता विरोधी दल द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले से नोटिस नहीं दी थी ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।"

श्री अतुल प्रधान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

इसी मध्य 02 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।"

श्री ओम प्रकाश ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।"

श्री मो0 ताहिर खान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

श्री अतुल प्रधान एवं श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने इस पर बल दिया।

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।"

श्री सचिन यादव उर्फ जखई ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

डॉ0 संग्राम यादव एवं श्री समरपाल सिंह ने इस पर बल दिया।

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-27 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।"

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

नेता विरोधी दल ने इस पर बल दिया।

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

"उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसी मध्य सायं 04 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

आज नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2024 को कुल 121 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गईं :-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयीं :-

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	डॉ0 अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत मसौधा से सुचित्तागंज अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनावंटन स्वीकृत करने का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	डॉ0 रागिनी	आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत नियुक्त CHOs प्रोत्साहन राशि तथा 4800 ग्रेड-पे पर नियमित नियुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री ओम प्रकाश	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल अभियन्ता का अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति तथा ड्राइंग संवर्ग प्रारूपकार से संगणक पद पर पदोन्नति में हो रही विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में।
4	डॉ0 राजेश्वर सिंह	विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के शहरी क्षेत्र में जलभराव से निजात दिलाये जाने हेतु मुख्य

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
		सचिव की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक विकास विभाग एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त समिति गठित कर समस्या का समाधान कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	ई0 सचिन यादव उर्फ जखई	जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में पेय जल आपूर्ति हेतु टंकियों के लिए बिछ रही पाइप लाइनों से टूट रहे सी0सी0 मार्गों एवं बी0सी0 मार्गों की जानकारी विषयक।
6	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद के प्रस्तावित राजा का ताल पुलिस चौकी को उच्चीकृत करते हुए थाना राजा का ताल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध मे

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री पलटूराम	विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महेशभारी भैसहवा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री रामफेरन पाण्डेय	ग्राम मलावां जनपद बहराइच के 20 किमी0 की परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के निवारण के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्री सर्वेश सिंह यादव	अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, कैसरबाग, लखनऊ में पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर की गयी भर्ती की अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में।
2	श्री तूफानी सरोज	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा पूर्व में अनुबन्धित स्टर्लिंग कम्पनी के आउटसोर्सिंग कर्मियों के 4 माह का वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री शिवपाल सिंह यादव	जनपद इटावा स्थित जसवन्तनगर विधान सभा के नौ राजस्व ग्रामों का नाम तहसील सैफई स्थित निबन्धन कार्यालय में प्रदर्शित न होने के कारण वहाँ के निवासियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
4	डॉ0 आर0 के0 वर्मा व श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड होलागढ़ की कतिपय ग्राम पंचायतों के तालाबों में हो रहे अवैध खनन के प्रकरण की जाँच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 वीरेन्द्र यादव	विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में बिजली विभाग के जे0ई0 द्वारा किये जा रहे अवैध वसूली की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी	जनपद गाजीपुर मुहम्मदाबाद के ट्रामा सेंटर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री लक्ष्मी राज सिंह	विधान सभा सिकन्द्राबाद में राज्य सरकार द्वारा घरौनी प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वे कराकर शामिल करते हुये लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री राजीव गुम्बर	विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर के खलासी लाइन एवं पुरानी रेलवे लाइन के आस-पास रोहिंग्या (बांग्लादेशी) का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना तथा सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री मो0 हसन 'रूमी'	जनपद कानपुर नगर के जलकल जोन-3 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र वार्ड-36 अजीतगंज चाचा नेहरू पार्क में ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में।
10	श्रीमती पूनम शंखवार	विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत तिस्ती से सूरजपुर वाया खेड़ा कुर्सी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्रीमती राजबाला सिंह	विधान सभा क्षेत्र मिलक जनपद रामपुर में सरकार द्वारा कराये गये विकास कार्यों के शिलापट्ट पर उनका नाम अंकित न किये जाने प्रकरण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती केतकी सिंह	विधान सभा क्षेत्र बांसडीह, बलिया अन्तर्गत विभिन्न गांवों में पशु चिकित्सालयों के भवनों एवं वहाँ पहुंचने वाले जर्जर रास्तों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
13	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)	विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन के अन्तर्गत सुशील नगर उरई एवं इन्द्रा नगर उरई में नये विद्युत पावर हाउस स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री जवाहर लाल राजपूत	उ0प्र0 आवास विकास परिषद् झांसी द्वारा तालपुरा योजना झांसी के अन्तर्गत कब्जा की गयी किसानों की जमीन वापस दिलाये जाने अथवा उसका मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री हरिओम वर्मा	अमाँपुर से जनपद एटा मार्ग नगला गुलरिया तक अवशेष मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री राजीव कुमार सिंह	विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूँ के डहरपुर फीडर से विद्युत आपूर्ति 3-4 दिन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
17	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में विद्युत उपकेन्द्र, बदलापुर ग्रामीण/बदलापुर टाउन, लेदुका, सहीदपुर को अपग्रेड किये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री आशु मलिक	जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत ब्लॉक पुवांरका के ग्राम दाबकी गुर्जर में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं 04 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 108 विधान सभा (164)-31-07-2024-50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।